



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052024-254471
CG-DL-E-31052024-254471

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2054]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2024/ज्येष्ठ 10, 1946

No. 2054]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2024/JYAISHTHA 10, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 मई, 2024
(आय-कर)

सा. का. नि. 2153(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 200 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में 1 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में, प्ररूप संख्या 27थ में, अनुलग्नक में, "सत्यापन" शीर्षक के अधीन, टिप्पण में, टिप्पण संख्या 7 के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

'7क. यदि धारा 197क की उपधारा (1च) के अधीन जारी अधिसूचना के अधीन कम कटौती या कोई कटौती न हो तो "पी" लिखिए'।

[अधिसूचना सं. 48/2024/फा. सं.370142/11/2024-टीपीएल]

खुशबू लाठर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक 233(अ) तारीख 27 मार्च, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 31st May, 2024
(INCOME-TAX)

G. S. R. 2153(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (3) of section 200 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 2024.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Form No. 27Q, in the Annexure, under the heading “Verification”, in the Notes, after Note No. 7, the following Note shall be inserted, namely:—

‘7A. Write “P” if lower deduction or no deduction is in view of notification issued under sub-section (1F) of section 197A.’

[Notification No. 48/2024/ F. No 370142/11/2024-TPL]

KHUSHBOO LATHER, Under Secy.

Note: The Income-tax Rules, 1962 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 233 (E), dated the 27th March, 2024.

